S.NO.14(1) 21 218

ute 24/11/2014

**By Speed Post**

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.**

File No.56/1249/2011/PPS-II /76-77 Dated: 24November. 2014

To.

| | |
|---|---|
| The President,<br>Swabhiman Party<br>Chintpurni Niwas<br>Longwood Shimla<br>Himachal Pradesh - 171001. | The President,<br>Swabhiman Party<br>Dev Shakti Kunj,<br>North Oak, Sajoli, Shimla<br>Himachal Pradesh - 171001 |

Subject:- Change of Party's name regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 19.09.2014 on the subject cited and to inform that the Commission has acceded to your request for change of name of your party **"Himachal Swabhiman Party"** to **"Swabhiman Party".** Accordingly, the name of your party has been changed to **"Swabhiman Party"** in the Commission's record. The same will be notified in due course.

2. Further, you are requested to submit your clarification regarding change of official address of the party. If, your party has changed its official address, the following documents need to be submitted so that new address of the party could be taken on record:-

(i) An authenticated copy of the resolution passed by the competent body prescribed in the party Constitution and the full proceedings of the meeting at which the decision to change the address and new office bearers was taken. Name of the office-bearers who attended the meeting may also be specified. Further, an authenticated copy of the extract of attendance register bearing signatures of participating members may be sent to the Commission.

(ii) A "No Objection Certificate", in the form of an affidavit on stamp paper, from the owner of the premises where the new office is intended to be set up.

(iii) Certified copies of tangible proof, such as House Tax Receipt of Registry Papers, etc. of ownership of the sand premises.

(iv) A declaration in the form of affidavit from the Party President to the effect that there is no legal impediment or prohibition by any authority in using the premises as party's office.

Certified True Copy

मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी (Section Officer)
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road
New Delhi-110001

जारी किया / ISSUED ON

Yours faithfully,

(PRAMOD KUMAR SHARMA)
UNDER SECRETARY

# पार्टी संविधान

**धारा 1.0**

- पार्टी का नाम : **हिमाचल स्वाभिमान पार्टी**

**धारा 1.1**

- मुख्य कार्यालय : चिन्तपुर्णी निवास, लांगवुड, शिमला (हि.प्र.) पिनकोड - 171001

- अन्य कार्यालय : पार्टी अपने अन्य कार्यालय जिला/ब्लॉक व अन्य जगहों पर भी खोल सकती है।

**धारा 1.2**

- **कार्यक्षेत्र** : फिलहाल पार्टी का कार्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश रहेगा परन्तु पार्टी अपना कार्यक्षेत्र राजनीतिक मांग अनुसार अन्य प्रदेश या देश में कहीं भी विस्तारित कर सकती है।

**धारा 1.3**

- **पार्टी का निशान** : हाथ में मशाल ( सम्पूर्ण कान्ति शब्दों के साथ )

**धारा 1.4**

- **पार्टी का झण्डा** : पार्टी का झण्डा तीन धारियों में होगा व ऊपर की पट्टी केसरी, मध्य पट्टी सफेद व नीचे की पट्टी बसन्ती रंग की होगी और मध्य में पार्टी का निशान होगा।

**धारा 1.5**

- पार्टी का संगठनात्मक ढांचा :

यह सरंचना निम्न प्रकार से होगी

General Secretary,
Himachal Swabhiman Party

- संचालन समिति /गवर्निंग कौन्सिल
- प्रदेश कमेटी
- प्रदेश कार्यकारिणी
- जिला कमेटी
- जिला कार्यकारिणी
- ब्लॉक/वि.स: क्षेत्र/मण्डल कमेटी
- ब्लॉक/वि.स: क्षेत्र/मण्डल कार्यकारिणी
- गांव व बूथ कमेटी

## धारा 2.0

➢ **उद्देश्य व कार्य**

हिमाचल स्वाभिमान पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्वान्तों के प्रति सच्ची श्रध्दा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगी।

- सर्व धर्म समभाव के लिये समाज के विभिन्न वर्गों में समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्य करना ताकि भाईचारा बढ सके।
- प्रदेश के अन्दर व बाहर रह रहे हर प्रदेशवासी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- समाज के प्रत्येक वर्ग के स्वाभिमान पूर्ण जीवन को सुनिश्चित करना।
- कृषि व कृषिकों के हितों के लिये कार्य करना।
- विदेशी पूंजी निवेश द्वारा प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करना।
- प्रदेश व देश के पढे लिखे लोगों को यहीं पर सारी सुविधायें प्रदान करना ताकि बुद्विजीवियों व श्रमजीवियों को विदेश जाने से रोका जा सके।
- गावों के पुराने व्यवसायों को आधुनिक तकनीकि से संयुक्त कर गांव की आर्थिकि को सुदृढ करना।
- हर जाति के दुर्बल वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर उनका उत्थान करना।
- आजीविका के अधिक अवसरों का सृजन करके परिवारों की आर्थिकि की दृढता को सुनिश्चित करना।
- कार्यपालिका व न्यायपालिका का बोझ कम करते हुये जनता की सहुलियत के लिय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को बढाना।
- जन प्रतिनिधी व जनता के सेवकों द्वारा काम में कोताही करने पर सजा की निश्चितता के प्रावधान का अधिनियम पास करना।
- राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को हर कार्यालय में पूरी तरह प्रयोग सुनिश्चित करना।
- सिवाय जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के कहीं भी जाति के पूछे जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाना।
- ग्राम सभा व उप ग्राम सभा का सभी पंचायतों में संचालन अनिवार्य / आवश्यक करवाना ।

Certified True Copy



MANISH KUMAR
Secretary,
Swabhiman Party

Certified True Copy

- हर प्रकार के भ्रष्टाचार की समाप्ति करना।
- हर तरह के आतंकवाद के मूल कारणों को समाप्त करना।
- विभिन्न विभागों के हो रहे अन्धाधुन्ध निजीकरण को रोकना।
- हिमाचल पर्यावरण की रक्षा करना।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिये कठोर सजा को निश्चित करने वाले अधिनियम को पास करना।

धारा 2.1

- पार्टी के सिद्वान्त :

सेवा संस्कार व संगठन के माध्यम से ईमानदारी व पारदर्शिता रखते हुये सर्व पन्थ समभाव तथा लोकतन्त्र के सिद्वान्तों का पालन करते हुये सामान्य जनमानस की सेवा करना।

धारा 2.2

- कार्यप्रणाली :

पार्टी पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य करते हुये जनता के बीच शान्ति स्थापित करने के लिये प्रयासरत रहेगी तथा किसी भी तरह से अशान्ति व झगडे में न भाग लेगी न ही बढ़ावा देगी।

धारा 2.3

- कार्यक्रम :

पार्टी जनता को कैम्पों, सैमीनारों, भाषणों द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का परिचय करवायेगी और जन जागरण करेगी।

धारा 3.0

- सदस्यता :

पार्टी में संस्थापक, प्रारम्भिक व सक्रिय सदस्य होंगें।

धारा 3.1

- **संस्थापक सदस्य :** वे होंगे जो सबसे पहले इकटठे होकर विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव पारित कर नई राजनीतिक पार्टी के गठन के लिये प्रयास करेगें व इसके संविधान पारित कर व मानकर पार्टी की सुदृढता के लिये कार्य करेगें।

धारा 3.2

- सक्रिय सदस्य

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन / Nirvachan Sadan
अशोक रोड / Ashoka Road
नई दिल्ली-110001

General Secretary,
Himachal Swabhiman Party
Himachal Pradesh

पार्टी के प्रत्येक स्तर के सारे पदाधिकारी सक्रिय सदस्य गिने जायेंगें व इसके लिये निर्धारित न्यूनतम शुल्क / फीस चुकता करेंगें तथा पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने व उन्हें कामयाब करने के लिये निशुल्क सेवा भाव से तत्पर रहेंगे।

नोट : सारे पदाधिकारियों को पार्टी निर्धारित समय या पद की अवधि अनुसार पहचान पत्र को जारी कर सकती है। जिसके लिये सदस्य की निर्धारित शुल्क चुकाना पडेगा व इस अवधि के खत्म होने पर या इस पद से किसी कारणवश अलग हो जाने पर यह पहचान पत्र पार्टी को सुपुर्द करना होगा। ऐसा ना करने की सूरत में सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है।

## धारा 3.3

> **प्रारम्भिक सदस्य :**

पार्टी के संविधान व सिद्वान्तों में निष्ठा दिखाते हुये पार्टी को सुदृढ करने के लिये न्यूनतम शुल्क देकर व सदस्यता फार्म भर कर सदस्य बनने वाला प्रारम्भिक सदस्य होगा।

## धारा 4.0

> **सदस्यता शुल्क :**

| | |
|---|---|
| ❖ संस्थापक सदस्य | रू 100.00 |
| ❖ सक्रिय सदस्य | रू 50.00 |
| ❖ प्रारम्भिक सदस्य | रू 10.00 |

## धारा 4.1

> **पैसों का बंटवारा :**

सदस्यता शुल्क तथा दान–अनुदान/चन्दा द्वारा प्राप्त किया गया पैसा निम्नलिखित ढंग से बांटा जायेगा।

| | |
|---|---|
| प्रदेश कमेटी | 30 प्रतिशत |
| जिला कमेटी | 30 प्रतिशत |
| ब्लाक/वि.स. क्षेत्र कमेटी | 40 प्रतिशत |

किसी भी स्तर पर किये गये कार्यक्रमों का खर्च उस स्तर की कमेटी ही वहन करेगी और गवर्निंग कौन्सिल का सारा खर्च प्रदेश कमेटी / कार्यकरिणी ही वहन करेगी।

## धारा 4.2

> **सदस्यता के मापदण्ड :**

- इस देश का कोई भी निवासी पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य बन सकता है जो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो।

Certified True Copy

मनीष कुमार MANISH KUMAR

Certified True Copy

- प्रारम्भिक सदस्यता के लिये **सदस्यता फार्म - क** भरकर निर्धारित न्यूनतम शुल्क रसीद काटने पर सदस्यता प्राप्त हो जायेगी।
- प्रार्थी किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिये।
- प्रार्थी सन्तुलित दिमाग व अच्छे चाल चलन वाला होना चाहिये।
- सक्रिय सदस्य बनने पर सदस्य को **सदस्यता फार्म – ख** भरकर निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा करवाना होगा और यह 4 साल के लिये वैद्य होगी।
- सदस्यता नवीनीकरण/रिन्युल के लिये शुल्क रसीद काटी जायेगी।

## धारा 4.3

> सदस्यता से निलम्बन व निष्काशन :

किसी भी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है या सदस्यता रदद की जा सकती है अगर :–

- सदस्य बनते समय किसी ने गलत सूचना दर्ज की हो।
- किसी सदस्य का मानसिक सन्तुलन खराब हो जाये।
- सदस्य पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या पार्टी के संविधान और सिद्वान्तों का विरोध करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिसके दूरगामी नतीजे पार्टी के हित में न जाते हों।

**प्रकिया** : ब्लॉक कमेटी किसी सदस्य की लिखित शिकायत अपनी जिला अनुशासन समिति को भेज सकती है। और उक्त अनुशासन समिति सम्बन्धित सदस्य को एक महीने का कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी और असन्तुष्ट होने पर प्रदेश अनुशासन समिति /कार्यकारिणी को निलम्बन की सिफारिश करेगी। प्रदेश अनुशासन समिति /कार्यकारिणी इस सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। परन्तु किसी की सदस्यता को रदद करने/निष्काशन का अधिकार सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी के पास होगा। किसी भी सदस्य का निलम्बन 1–6 साल के लिये किया जा सकेगा।

## धारा 4.4

> अपील :

- कोई भी सदस्य अपने निलम्बन की लिखित अपील प्रदेश कार्यकारिणी को निलम्बन तिथी के 30 दिन के भीतर कर सकता है और उसका पक्ष सुनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

## धारा 5.0

> अनुशासन समिति

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी / Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन / Nirvachan Sadan
अशोक रोड / Ashoka Road
नई दिल्ली-110001

- पार्टी जिला व प्रदेश स्तर पर अनुशासन समितियों का गठन करेगी और **धारा 4.3** के मुताबिक किसी भी दोषी पाये गये सदस्य की लिखित शिकायत मिलने पर संविधान अनुसार कार्यवाही करेगी। इस कमेटी में 5 सदस्य होंगें।

## धारा 6.0

### ➢ अन्य मंच/संघ/प्रकोष्ठ/इकाई/बोर्ड/विंग/सिमितियां :

- पार्टी प्रधान संचालन समिति के अध्यक्ष की सलाह व सहयोग से निम्नलिखित व आवश्यकतानुसार अन्य मंचों/संघों/प्रकोष्ठों/इकाईयो/मोर्चों/बोर्डस/विंगस/सिमितियों आदि का गठन करेंगें व इनके अध्यक्षों को मनोनीत करेंगें।

1. बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ
2. किसान प्रकोष्ठ
3. महिला मोर्चा
4. विद्यार्थी संगठन
5. युवा मोर्चा
6. पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ
7. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ
8. कानुनी प्रकोष्ठ
9. व्यापार प्रकोष्ठ
10. पंचायती राज प्रकोष्ठ
11. ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ
12. मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ
13. एक्स सर्विसमैन विंग/ भूतपूर्व सैनिक संघ
14. अल्प संख्यक प्रकोष्ठ
15. जल संरक्षण प्रकोष्ठ
16. आर्थिक प्रबन्धन प्रकोष्ठ
17. वन्य संरक्षण प्रकोष्ठ
18. मजदूर संगठन

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली-110001 /New Delhi-110001

धारा 7.0

> *जिला, ब्लॉक / वि:स: क्षेत्र / मण्डल व गांव कमेटी का ढांचा :*

जिला स्तर, ब्लॉक व वि:स: क्षेत्र स्तर व गांव स्तर पर निम्नलिखित पद होगें।

- प्रधान
- उप प्रधान
- महासचिव
- कोषाध्यक्ष
- मीडिया प्रभारी
- कार्यकारिणी सदस्य

धारा 7.1

> *ब्लॉक / वि: स: क्षेत्र / मण्डल कमेटी*

ग्रामीण स्तर की कमेटियों के प्रधान,, उपप्रधान, महासचिव व कोषाध्यक्ष ब्लॉक/वि:स: क्षेत्र/मण्डल कमेटी के सदस्य होगें व इन्हीं सदस्यों में से ब्लॉक या वि: स: क्षेत्र /मण्डल कमेटी व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का लोकतान्त्रिक ढंग से चुनाव किया जायेगा।

धारा 7.2

> *जिला कमेटी*

- जिला कमेटी का गठन भी लोकतान्त्रिक ढंग से किया जायेगा।
- ब्लॉक/वि:स: क्षेत्र/मण्डल स्तर की कमेटियों के सदस्यों मे से ही जिला कमेटी के पदाधिकारियों का लोकतान्त्रिक ढंग से चुनाव किया जायेगा।

धारा 7.3

> *जिला कार्यकारिणी :*

- जिले में पड़ने वाले सारे ब्लॉक या वि:स: क्षेत्र/मण्डल कमेटी के प्रधान, उपप्रधान, व महासचिव व कोषाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के सदस्य होगें।
- जिला कमेटी का चुनाव जीत चुके सदस्य व नगर निगम या नगर कौन्सिल व अन्य किसी जिला स्तरीय बोर्ड के सदस्य भी पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य होगें।

Certified True Copy

इसकी संख्या निम्न प्रकार से होगी।

मनीष
MANISH

General Secretary,
Swabhiman Party

- प्रधान 1–6
- उपप्रधान
- महासचिव
- कोषाध्यक्ष
- ब्लॉक / वि:स: क्षेत्र / मण्डल प्रधान
- ब्लॉक / वि:स: क्षेत्र / मण्डल उपप्रधान
- ब्लॉक / वि:स: क्षेत्र / मण्डल महासचिव
- ब्लॉक / वि:स: क्षेत्र / मण्डल कोषाध्यक्ष
- अन्य कार्यकारिणी सदस्य

किसी भी प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष जो जिला में रहता हो व इन प्रकोष्ठों / विंग / बोर्डों / संगठन के जिला अध्यक्ष एंवम पूर्व व निवर्तमान विधायक / जिला परिषद अध्यक्ष / ब्लॉक सीमति अध्यक्ष इसके सदस्य होंगें। प्रदेश कार्यकारिणी व संचालन समिति के पास जिला कार्यकारिणी में सदस्यों / पदाधिकारियों को मनोनीत करने का अधिकार रहेगा परन्तु ऐसे मनोनीत सदस्यों की संख्या सदस्यों / पदाधिकारियों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी।

## धारा 7.4

- **प्रदेश कमेटी :**
  - मण्डल व जिला कमेटी सदस्यता के आधार पर प्रदेश प्रधान के चुनाव के लिये डेलीगेट भेजेगी जिनकी संख्या प्रति जिला 15 से अधिक नही होगी। उपरोक्त जनरल हाउस निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के बाद लोकतान्त्रिक ढंग से सहमतिपूर्ण या चुनावों के माध्यम से प्रदेश प्रधान का चुनाव करेगा। बाकी कार्यकारिणी वरिष्ठ सदस्यों से विचार करके घोषित होगी।

**प्रदेश कमेटी का ढांचा निम्न प्रकार से होगा।**

- प्रधान
- उप प्रधान
- महासचिव ( प्रशासन )
- महासचिव ( संगठन )
- सचिव
- कोषाध्यक्ष
- कार्यकारिणी सदस्य

इसमें प्रधान व महासचिव ( प्रशासन ) बाकी पदों की संख्या को संचालन समिति के अध्यक्ष की विचार विर्मश से तय करेंगें।

Certified True Copy

मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली-110001 /New Delhi-110001

Certified True Copy

General Secretary,

धारा 7.5

➢ प्रदेश कार्यकारिणी :

प्रदेश कार्यकारिणी में ज्यादा से ज्यादा 108 सदस्य होंगें तथा यह सदस्य निम्न प्रकार से होगें।

| | |
|---|---|
| • पार्टी प्रधान | 1 |
| • पार्टी उप प्रधान | 8 |
| • पार्टी महासचिव ( प्रशासन ) | 1 |
| • महासचिव ( संग्ठन ) /संगठन महामंत्री | 1 |
| • सचिव | 8 |
| • प्रदेश कोषाध्यक्ष | 1 |
| • पार्टी प्रवक्ता | 1 |
| • पार्टी राजनीतिक सलाहकार | 1 |
| • पार्टी राजनीतिक सलाहकार | 1 |
| • कानूनी सलाहकार | 1 |
| • प्रदेश अनुशासन समिति अध्यक्ष | 1 |
| • हर प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष | 18 |
| • हर जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष. | 12 |
| • हर जिला कार्यकारिणी का महासचिव | 12 |
| • हर जिला कमेटी से मनोनीत सदस्य | 12 |
| • संसदीय क्षेत्र के प्रभारी | 4 |
| • संचालन समिति के सदस्य | |
| • प्रदेश कमेटी व संचालन समिति द्वारा मनोनीत सदस्य | |

सारे निवर्तमान विधायक प्रदेश कार्सकारिणी के पदेन/एक्स आफिशियो सदस्य होगें। पार्टी प्रधान, महासचिव ( प्रशासन ) व संचालन समिति के अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी के आजीवन सदस्य रहेंगें।

धारा 8.0

➢ संचालन समिति / गवर्निंग कौन्सिल.

संस्थापक सदस्य संचालन समिति के निम्नलिखित पदों के लिये सदस्यों मे से किसी को भी सर्वसम्मति से चुनाव कर सकते हैं या लोकतान्त्रिक ढंग से मतदान द्वारा पदाधिकारियों का चयन कर सकते हैं। संस्थापक सदस्य मे से ही संचालन समिति के पदाधिकारियों का चयन या

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग

चुनाव किया जा सकेगा। संचालन समिति के अध्यक्ष /चेयरमैन को कुल सख्या का 1/3 सदस्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों मे से मनोनीत करने का अधिकार होगा।

| | |
|---|---|
| ➢ अध्यक्ष /चेयरमैन | 1 |
| ➢ सचिव | 1 |
| ➢ सदस्य | 7 |

- पार्टी महासचिव ( प्रशासन ) संचालन समिति का पदेन/एक्स आफिशियो सचिव होगा। संचालन समिति का पूर्व अध्यक्ष, व सचिव/पार्टी के महासचिव ( प्रशासन ) इसके आजीवन सदस्य रहेंगें।

## धारा 8.1

### ➢ संचालन समिति के अधिकार क्षेत्र व कार्य :

- संचालन समिति ही पार्टी के लिये सारे दिशा निर्देश व नीतियां निर्धारण करेगी ।
- संचालन समिति के अध्यक्ष/चेयरमैन को पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को कभी भी सम्मन करने का अधिकार होगा।
- संचालन समिति पार्टी के सभी पदाधिकारियों के कार्यकलापों पर कडी नजर रखेगी व पार्टी के अहित मे किसी भी आपत्तिजनक गतिविधी का नोटिस लेते हुये कार्यवाही करेगी ।
- संचालन समिति के अध्यक्ष, पार्टी के प्रधान के साथ मिल कर चुनाव समिति का गठन करेंगें जो चुनावों के वक्त लोकसभा चुनावों, वि.सः चुनावों, राज्यसभा एंवम अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिये उम्मीदवारों को तय करेगी।
- लोकसभा चुनावों, वि.सः चुनावों,राज्यसभा एंवम अन्य लोकतान्त्रिक संस्थाओं के चुनावों उपरान्त हर स्तर पर दल का नेता संचालन समिति के र्मागदर्शन अनुसार होगा ।
- संचालन समिति ही पार्टी के संविधान में संशोधन का आग्रह कर सकती है जिसकी लिये पार्टी महासचिव प्रशासन जनरल बाडी की मीटिंग बुलायेंगें।
- संचालन समिति आपातस्थिति मे कोई भी निर्णय व उन विषयों में निर्णय लेने में सक्षम व स्वतंत्र होगी जिनका संविधान मे कोई प्रावधान न हो और संचालन समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालन समिति ऐसी बैठक मे पार्टी के प्रधान को बुलाने का विशेषाधिकार रखती है।

## धारा 9.0

### ➢ विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य व अधिकार :

Certified True Copy

मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली-110001 /New Delhi

Certified True Copy

14

- **प्रधान** : अपने स्तर पर प्रधान बैठकों की अध्यक्षता करेगें व अपने सहभागियों/अधीनस्थ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के कार्यों पर दृष्टि रखेगा कि पारित प्रस्ताव व अन्य कार्य पार्टी के संविधान के अनुसार हैं या नहीं। तथा विभिन्न प्रकोष्ठों/संगठन/सैल/विंगस आदि को बनाना व उसमें अध्यक्ष/पदाधिकारियों को मनोनीत करने का पार्टी के प्रधान को विशेषाधिकार होगा।

- **उप प्रधान** : प्रधान के अधीनस्थ व मार्गदर्शन में कार्य करेगा व प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा।

- **महासचिव ( प्रशासन )** : महासचिव ( प्रशासन ) पार्टी प्रधान के निर्देशानुसार पार्टी के सारे कार्यक्रमों पर नजर रखेगा व उसे अन्तिम रूप देना, समय-समय पर पार्टी के हित के लिये जरूरी कार्य करना व ऐसे कार्य करने के लिये अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश देना। पार्टी के बाकी पदाधिकारियों से सम्पर्क व तालमेल रखना। कोई मीटिंग या बैठक बुलाना, कानफ्रेंस बुलाना, प्रदेश स्तर का अधिवेशन बुलाना और इन में गवर्निंग कौन्सिल या प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णयों को पार्टी में लागू करवाना व प्रेस नोट जारी करना। पदाधिकारियों को पहचान पत्र जारी करना, किसी अन्य पार्टी के साथ सहयोग के लिये बात करना, निर्वाचन आयोग को कोषाध्यक्ष के सहयोग से पार्टी की आडिट रिपोट पेश करना, संविधान संशोधन के लिये जनरल बाडी मीटिंग बुलाना तथा हर अन्य कार्य करना जो पार्टी के हित में हो। अध्यक्ष से सलाह के बाद किसी कार्यकर्ता को नियुक्त करना, उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या उसे निलंबन करना।

- **महासचिव ( संगठन )/संगठन महामंत्री** : पार्टी प्रधान के निर्देशानुसार संगठन को देखेंगें।

- **सचिव** : अपने अपने स्तर पर सचिव अपने महासचिव के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।

- **कोषाध्यक्ष** : कोषाध्यक्ष अपने-अपने स्तर सदस्यता शुल्क दान एवं अनुदान प्राप्त कर उसके लिये उपयुक्त रसीद जारी करेंगें। आये गये पैसे का यानि आय व व्यय का विवरण तैयार करेंगें। प्रदेश कोषाध्यक्ष आय व व्यय का अंकेक्षण/आडिट कराने में प्रदेश स्तर पर महासचिव प्रशासन का सहयोग करेंगें तथा अपने पार्टी प्रधान व पार्टी महासचिव ( प्रशासन ) के साथ मिलकर बैंक खातों का सचांलन करेंगें।

- **कार्यकारिणी सदस्य** : ये सदस्य अपने-अपने स्तर पर अपनी कमेटी के साथ मिलकर आबंटित कार्य को पूरा करेंगें व पार्टी के अन्य महत्त्वपूर्ण मसलों में अपनी राय व्यक्त कर वोट के अधिकार से फैसला करने में सहायता करेंगें।

**नोट** : संचालन समिति के अध्यक्ष /चेयरमैन, व सचिव के वही कार्य व अधिकार होंगें जो पार्टी के प्रधान व महासचिव ( प्रशासन ) के हैं।

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

धारा 9.1

➢ चुनाव अवधि व पद कार्यकाल

किसी भी स्तर पर किसी भी पद या कमेटी के लिये कार्यकाल **अवधि चार साल** की रहेगी परन्तु किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र या अन्य किसी कारणवश रिक्त हुये पद को बाकी रहती अवधि के लिये भरा जायेगा जिसके लिये प्रदेश कार्यकारिणी को ऐसा पदाधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा। परन्तु पद्रेश स्तर पर ऐसी स्थिति मे संचालन समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

धारा 10.0

➢ नामांकन व चुनाव व मनोनयन :

- पार्टी के अलग–अलग स्तर के लिये मापदन्ड पूरा करते हुए कोई भी सदस्य किन्ही दो सदस्यों द्वारा नामित किये जाने पर नामांकन भर सकता है।
- पार्टी हर स्तर पर चाल साल के अन्तराल के बाद लोकतान्त्रिक ढंग से अलग–अलग पदों के लिये चुनाव करवायेगी। और किसी पदाधिकारी के उपरी स्तर पर चुने जाने पर निचला पद स्वत ही खाली हो जायेगा।
- विभिन्न चुनावों के लिये उच्च कमेटी, निम्न कमेटी के चुनावों के लिये एक पर्यवेक्षक भेजेगी जिसकी देखरेख में यह चुनाव सम्पन्न होंगें और यह पर्यवेक्षक चुनावों उपरान्त प्रदेश कमेटी व संचालन समिति /गवर्निंग कौन्सिल को अपनी लिखित विस्तृत रिर्पोट पेश करेगा। चुनावों में सम्बंधित किसी भी शिकायत का निपटारा उक्त पर्यवेक्षक ही करेगा। परन्तु पर्यवेक्षक के फैसले से असंतुष्टी के रूप में शिकायत प्रदेश कमेटी को ही की जा सकेगी। निम्न कमेटियों के संदर्भ में प्रदेश कमेटी व प्रदेश कमेटी के संदर्भ में संचालन समिति अपना निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी को भेजेगी जिस पर प्रदेश कार्यकारिणी को विचार करना आवश्यक होगा और प्रदेश कार्यकारिणी 30 दिन के भीतर अपना निर्णय संचालन समिति को सूचित करेगी।
- अपनी र्कायकारिणी मे ब्लॉक कमेटी को 3 व जिला कमेटी को 6 सदस्य या पदाधिकारी मनोनीत करने का विशेष अधिकार होगा। कमेटी चुनावों के नतीजों को प्रदेश कमेटी / संचालन समिति द्वारा पुष्टी के बाद उक्त पदाधिकारियों को प्रस्तावित शुल्क देने पर पहचान पत्र प्रदान किये जायेंगें।

धारा 11.0

➢ मताधिकार :

- मनोनीत किये गये सदस्यों को मत का अधिकार रहेगा।

धारा 12.0

➢ आम चुनाव :

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण प्राप्त हो जाने पर पंजीकृत तिथी से पांच वर्ष के अन्तराल में पार्टी प्रदेश के आम चुनाव जैसे कि लोक सभा, विधान सभा व नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद ब्लॉक समिति आदि के चुनाव जरूर लड़ेगी।

## धारा 13.0

➢ **कमेटीयों/परिषदों का विघटन**

गवर्निंग कौन्सिल के पास विभिन्न कमेटीयों/संघों/परिषदों/बोर्डों/ प्रकोष्ठों/विंगस/निगम आदि को पार्टी के हित अनुसार बहुमत से विलय करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

## धारा 14.0

➢ **बैठकें, कोरम व अनुशासन**

- ब्लॉक/वि.स.क्षेत्र/मण्डल कमेटी स्तर पर न्युनतम मासिक और जिला स्तर पर कमेटियों/कार्यकारिणीयों की त्रिमाही बैठक होगी ।
- प्रदेश कमेटी/कार्यकारिणी व संचालन समिति हर छिमाही बैठक करेगी तथा सालाना आम बैठक/जनरल बाडी मीटिंग का आयोजन किया जायेगा।
- प्रदेश कार्यकारिणी और/या संचालन समिति किसी अन्य बैठक का आयोजन भी कर सकती है या किसी कमेटी को आयोजन करने का निर्देश दे सकती है जो बाध्य होगा।
- ऐसी कोई भी बैठक जिसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या उक्त कमेटी की कुल संख्या का 1/3 से कम होगी वैध नहीं मानी जायेगी।
- कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा उपस्थित सदस्यों में बहुमत से लिया गया निर्णय ही वैध माना जायेगा।
- कमेटी के सारे पदाधिकारियों व सदस्यों को इन बैठकों में उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होगा। ना आ पाने की सूरत में लिखित सूचना भेजना जरूरी है अन्यथा ऐसी तीन मीटिंगों में बगैर सूचना के अनुपस्थित रहने पर उक्त सदस्य/पदाधिकारी कमेटी का सदस्य/पदाधिकारी होने का अधिकार स्वतः ही खो बैठेगा।

## धारा 15.0

➢ **बैंक संचालन, वित्त मसले व अंकेक्षण** :

पार्टी वित्तीय मामलों में पूरी पारदर्शिता रखेगी व पार्टी में आने वाले हर सदस्यता शुल्क दान या अनुदान की विधिवत रसीद जारी करेगी और पार्टी हर वित्तीय वर्ष के खत्म होने के 60 दिनों के भीतर भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को अंकेक्षण/ऑडिट रिर्पोट भेजेगी। पार्टी का लेखा परीक्षण CAG के पैनल मे शामिल ऑडिटर से कराया जायेगा। पार्टी का फण्ड राजनीतिक कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रख रखाव मे आयोग द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी।

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

## धारा 16.0

> अधिवेशन

प्रदेश स्तर पर हर दो वर्ष बाद पार्टी मुख्य कार्यलय/हैड आफिस या जहां भी प्रदेश कार्यकारिणी या संचालन समिति ठीक महसूस करे एक खुले अधिवेशन का आयोजन करेगी।

- इस अधिवेशन में प्रदेश कमेटी को लिखित रूप से भेजे गये ऐसे मसले जिन्हें बहुमत से भेजा गया हो चर्चा में लिये जायेंगें या उन मसलों पर चर्चा की जायेगी जो संचालन समिति मौके पर ही पेश करेगी। किसी अन्य कमेटी द्वारा मौके पर ही उठाया गया कोई भी मसला चर्चा में तब तक नहीं लाया जायेगा जब तक कि यह पार्टी के हित में अति आवश्यक ना हो।
- प्रदेश कार्यकारिणी और/या संचालन समिति किसी खास अधिवेशन का आहवान कभी भी करने का अधिकार रखती है।
- प्रदेश व जिला स्तर की कमेटियों के सारे सदस्य व पदाधिकारी इस अधिवेशन के लिये प्रतिनिधि / डैलीगेट होगें।
- पार्टी के सारे निर्वतमान व पूर्व सांसद, विधायक व जिला परिषद सदस्य इस अधिवेशन में प्रतिनिधि / डैलीगेट होंगें।

प्रदेश कमेटी को इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिये विभिन्न कमेटियां गठित करने व दिशा निर्देश जारी करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रदेश कमेटी इसका सारा खर्च वहन करेगी व संचालन कमेटी अधिवेशन के 3 माह के भीतर आय व्यय का पूरा विवरण प्रदेश कमेटी को सौपेंगी।

## धारा 17.0

> संविधान में संशोधन :

- संचालन समिति जरूरत के मुताबिक पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रदेश कमेटी/कार्यकारिणी को भेज सकती है जिसके लिये पार्टी महासचिव ( प्रशासन ) जनरल बाडी की मीटिंग बुलायेंगें। परन्तु संशोधन के किये जनरल बाडी की मीटिंग में जिसमे कम से कम 50 % सदस्य उपस्थित हों इसे 2/3 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

## धारा 18.0

> पार्टी का विघटन व विलय :

- पार्टी के विघटन का निर्णय उस वक्त के मौजूदा हालातों पर जनरल बाडी की बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से ही लिया जा सकेगा। ऐसी सूरत में पार्टी का सब कुछ विकलांगों को मदद कर रही किसी संस्था को सौप दिया जायेगा।
- संचालन समिति के पास किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन /विलय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

Certified True Copy
मनीष कुमार MANISH KUMAR अनुभाग अधिकारी / Section Officer भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan अशोक रोड /Ashoka Road नई दिल्ली-110001 /New Delhi-110001

## सदस्यता फार्म - क

## हिमाचल स्वाभिमान पार्टी

मुख्य कार्यालय : चिन्तपुर्णी निवास, लांगवुड शिमला (हि. प्र.) पिनकोड .171001

### प्रारम्भिक सदस्यता फार्म व रसीद

क्रमांक:

दिनांक:

मैं हिमाचल स्वाभिमान पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य बनना चाहता/ती हूं। मेरी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और मैं हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के संविधान व सिद्वान्तों में पूरी निष्ठा रखूंगा/गी। मैं किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं।

श्रीमान /श्रीमती ..........................................................................................................

पता ..........................................................................................................................

रु .................................. बाबत हिमाचल स्वाभिमान पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य सधन्यवाद प्राप्त किये।

रु :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

General Secretary,
Himachal Swabhiman Party
Himachal Pradesh

सदस्यता फार्म - ख

## हिमाचल स्वाभिमान पार्टी

मुख्य कार्यालय : चिन्तपुर्णी निवास, लांगवुड शिमला (हि. प्र.) पिनकोड .171001

मैं ..........................................................................................................

सपुत्र / सपुत्री / धर्मपत्नी श्री ..........................................................................................

हिमाचल स्वाभिमान पार्टी का/की सक्रिय सदस्य बनना चाहता/ती हूं और घोषणा करता/ती हूं कि

- मैं भारत का स्थायी निवासी हूं ।
- मेरी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है ।
- मैं किसी राजनीतिक दल का / की सदस्य नहीं हूं।
- मैं धर्मनिरपेक्षता मे विश्वास रखता/रखती हूं और सभी धर्मों का आदर करता / करती हूं।
- मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्व विश्वास व निष्ठा रखता/रखती हूं और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र के सिद्वान्तों पर आधारित भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता को बनाये रखूंगा/रखूंगी।
- मैं हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के संविधान व सिद्वान्तों में पूरी निष्ठा रखूंगा/रखूंगी व पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यकमों को पूरा करने लिये सदैव तत्पर रहूंगा/रहूंगी।

| स्थायी पता | व्यवसायिक पता |
|---|---|
| .............................................. | .............................................. |
| .............................................. | .............................................. |
| .............................................. | .............................................. |
| फोन/मोबाईल :.................................. | फोन/मोबाईल :.................................. |
| उम्र : .............................................. | व्यवसाय :.............................................. |
| दिनांक :.............................................. | |
| .............................................. | .............................................. |
| भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर | सदस्य के हस्ताक्षर |

Certified True Copy

मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड/Ashoka Road
नई दिल्ली-110001/New Delhi-110001

20 28

## हिमाचल स्वाभिमान पार्टी

मुख्य कार्यालय : चिन्तपुर्णी निवास, लांगवुड शिमला (हि. प्र.) पिनकोड .171001

**रसीद**

दान/अनुदान/सकिय सदस्य/सदस्यता नवीनीकरण/अन्य

कमांक:............................ दिनांक: ......................

श्रीमान /श्रीमती ..........................................................................................................

पता ..........................................................................................................से

रु ................................ बाबत ..........................................................सधन्यवाद प्राप्त किये।

रु :

हस्ताक्षर

Certified True Copy
मनीष कुमार
MANISH KUMAR
अनुभाग अधिकारी /Section Officer
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
निर्वाचन सदन/Nirvachan Sadan
अशोक रोड /Ashoka Road
नई दिल्ली

General Secretary,
Himachal Swabhiman Party
Himachal Pradesh

स्पीड पोस्ट

# भारतनिर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

सं.4/आर/टी/आई/143/2020/रा0द0अनु0-III/ 78.

दिनांक: २० नवंबर, 2020

सेवा में,

श्री बलदेव राज सूद,
शारदा गृहम, पपरोला,
ज़िला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश – 176 115 |

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके आवेदन दिनांक 16.10.2020 एवं आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2020 के क्रम में आपके द्वारा मांगे गए दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति भेजी जा रही है।

भवदीय,

(एन. टी. भूटिया)
सचिव तथा केंद्रीय सूचना जन अधिकारी

प्रति:- 1. गार्ड फाइल |

स्पीड पोस्ट द्वारा

फा0 सं0: 56/36/2011/रा0द0अनु0–I

तारीख: 07 जुलाई, 2011.

सेवा में,

अध्यक्ष,
**हिमाचल स्वाभिमान पार्टी,**
चिंतपूर्णि निवास,
लोंगवुड शिमला,
**हिमाचल प्रदेश।**

विषयः– **" हिमाचल स्वाभिमान पार्टी "** –लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने **" हिमाचल स्वाभिमान पार्टी "** का राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आपके तारीख **10.02.2011** के आवेदन और उक्त आवेदन–पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में तारीख **07.07.2011** को आयोग के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन **" हिमाचल स्वाभिमान पार्टी "** का तारीख **07.07.2011** से राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर लिया है ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा । **इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के** साथ भेजी जाएगी:–

(i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।

(ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।

(iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।